उत्तर प्रदेश शासन
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,
संख्या-209/2017/1754/92-2-17-14जांच/2015
लखनऊ:: दिनांक:: 06 दिसम्बर,2017

कार्यालय-ज्ञाप

जनपद काशीराम नगर में डॉ0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना के अंतर्गत सी0सी0 रोड एवं के0सी0 ड्रेन के निर्माण हेतु निविदा प्रक्रिया में की गयी अनियमितताओं हेतु शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-1689/62-3-2010-92आरई/2010 दिनांक 14-07-2010 द्वारा श्री वाजिद अली, सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-काशीरामनगर के विरूद्व उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये प्रकरण की जॉच हेतु अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-मेरठ को पदेन जॉच अधिकारी नामित किया गया। जांच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-मेरठ के पत्र दिनांक 26.06.2014 द्वारा जांच आख्या शासन में उपलब्ध करायी गयी। जॉच अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी गयी जॉच आख्या सतही पाये जाने के फलस्वरूप जांच अधिकारी को पुन: तथ्यपरक जांच आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये। फलस्वरूप जांच अधिकारी के पत्र दिनांक 28-08-2015 द्वारा नवीन जांच आख्या शासन में उपलब्ध करायी गयी। जांच अधिकारी की उक्त जॉच आख्या में स्थापित कुल 02 आरोपों में से 01 आरोप पूर्णरूप से एवं 01 आरोप आंशिक रूप से स्थापित पाया गया।

2- अपचारी अधिकारी के विरूद्व अधिरोपित आरोप, जॉच अधिकारी की जॉच आख्या, अपचारी अधिकारी का अभ्यावेदन एवं संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त एवं इसी मध्य अपचारी अधिकारी, श्री वाजिद अली, तत्का0 सहायक अभियंता अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण कर दिनांक 30-06-2017 को सेवानिवृत्त हो जाने तथा निदेशक एवं मुख्य अभियंता द्वारा प्राप्त आख्या में प्रश्नगत प्रकरण में किसी वित्तीय अनियमितता/शासकीय क्षति न पाये जाने के फलस्वरूप श्री वाजिद अली खॉ, तत्का0 सहायक अभियंता, पी0आई0यू0-बुलंदशहर के विरूद्व उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 1999 के नियम-7 के अंतर्गत संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को सी0एस0आर0 के अनुच्छेद-351ए में परिवर्तित करते हुये बिना दण्ड के एतदद्वारा समाप्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूददीन
अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-209/2017/1754(1)/92-2-2017 तददिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

2- श्री वाजिद अली खॉ, तत्का0 सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, पीआईयू-बुलंदशहर द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता,(स्था0-1) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(वी0के0 सिंह)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।